[2021] 11 एस.सी.आर. 284

मैसर्स साई बाबा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया

(सिविल अपील संख्या 595/2021)

26 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

पर्यावरणीय विधि : भवन निर्माण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी - तथ्यों पर, परियोजना प्रस्तावक-निर्माण परियोजना ने सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से ईसी प्राप्त करके पर्याप्त अनुपालन किया - पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था में बाद में बदलाव - प्रभाव-परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की वैधता, जिसे चुनौती दी गई-राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बिना आगे निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिसूचना के अनुसार पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर अपीलार्थी-परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहले से किए गए निर्माणों को संरक्षित किया गया है - अपील पर, - अभिनिर्धारित : परियोजना प्रस्तावक वैध रूप से उस तरीके में स्थिरता की एक निश्चित डिग्री की उम्मीद कर सकता है जिसमें पर्यावरण व्यवस्था निर्धारित की जाती है और अनुप्रयोगों को कैसे संसाधित किया जाता है - सार्वजनिक हित संभवतः किसी पक्ष के लिए वैध अपेक्षा की डिग्री को कम कर सकता है लेकिन एक संतुलन खोजना होगा - परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पर्यावरण मंजूरी व्यवस्थाओं में परिवर्तनों का अनुमान लगाए, विशेष रूप से न्यायिक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मंजूरी पर फिर से विचार करते रहें या यहां तक कि वैध रूप से निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त कर दें- न ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने आवेदनों को संसाधित करने के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाएगा, जिसे प्रासंगिक समय पर अधिकार नहीं दिया गया है - तथ्यों पर, अपीलार्थी ने पर्यावरण मंजूरी पर कार्रवाई की और पर्याप्त निवेश किया - उन्होंने संबंधित अवधि के दौरान लागू कानूनी ढांचे का पालन किया, क्योंकि इस तरह एक अवक्षेप पर धक्का नहीं दिया जा सकता है और गिरने के लिए बनाया जा सकता है - ऐसा करना अनुचित होगा - इसके अलावा, तीसरे पक्ष के हित भी सामने आए हैं - इस प्रकार, पूर्ण निर्माण की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया जाता है और चार निर्मित भवनों को सभी कानूनी परिणामों के साथ एक वैध पर्यावरणीय मंजूरी के तहत माना जाना

चाहिए - हालांकि, प्रस्तावित किसी भी आगे के निर्माण के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार नई मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए - वैध अपेक्षा का सिद्धांत।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

अभिनिर्धारित : 1.1 जब परियोजना प्रस्तावक शुरू में पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करना चाहता था तो उसने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को आवेदन करने के लिए आवश्यक अभिन्यास मंजूरी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार, यह संशोधन से पहले लागू प्रक्रिया के भीतर अच्छी तरह से काम कर रहा था। इस तरह की मंजूरी प्रदान करने के बाद, जब निर्माण चल रहा था, संशोधन 9.12.2016 को हुआ, जिसके तहत नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकरण को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया था। परिवर्तित परिस्थितियों में, परियोजना प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को आवेदन करना था क्योंकि 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले से पहले मध्यावधि के दौरान, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। इसलिए परियोजना प्रस्तावक संशोधित अधिसूचना द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन कर रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त समिति ने दिनांक 11.8.2020 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि जब परियोजना प्रस्तावक को 28.11.2017 को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई थी, तो ईसी जारी करने का सक्षम प्राधिकारी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम का पर्यावरण प्रकोष्ठ था। इस प्रकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपनी विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में यह स्पष्ट समझ है कि परियोजना प्रस्तावक ने संबंधित समय के सक्षम प्राधिकारी-पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से चुनाव आयोग प्राप्त किया था। [अनुच्छेद 15]

1.2 इसके अलावा, मूल आवेदन संख्या 677/2016 में 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले के फैसले के बाद ही, महाराष्ट्र राज्य ने 29.1.2018 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि नगर निगम अधिकारियों को लंबित आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन न तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण और न ही महाराष्ट्र सरकार के निर्णय ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पर्यावरण मंजूरी पर निहितार्थ के बारे में स्पष्ट रूप से कोई मार्गदर्शन दिया, जिसके आधार पर, निर्माण का एक बड़ा उपाय पहले ही किया जा चुका था। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 14.11.2018 और 15.11.2018 को जारी की गई बाद की अधिसूचना में, पर्यावरण मंजूरी देने की शक्ति स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में निहित रही, जिसमें एकमात्र परिवर्तन यह था कि यह स्वयं नगरपालिका है न कि इसका पर्यावरण प्रकोष्ठ जो पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार रखता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उक्त अधिसूचनाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 26.11.2018 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 12517/2018 में रोक लगा दी गई है।[अनुच्छेद 16]

1.3 भवन परियोजना पर रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति ने किसी बड़े विचलन को रेखांकित नहीं किया, बल्कि पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने सक्षम स्थानीय प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करके पर्याप्त अनुपालन किया था। इसके अलावा मूल आवेदन में, न तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या इस न्यायालय के समक्ष, कभी यह तर्क दिया गया कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा किया गया मूल्यांकन दोषपूर्ण था या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग था। दोनों प्रक्रियाएँ भी समान रूप से संरचित हैं। यही कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विवादित निर्णय में ही पहले से बने निर्माण को संरक्षित किया। हालांकि, परियोजना प्रस्तावक को वैधानिक पर्यावरण मंजूरी से मंजूरी प्राप्त किए बिना और पर्यावरण मानदंडों का पालन किए बिना आगे कोई निर्माण करने से रोक दिया गया था।[अनुच्छेद 17]

1.4 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पहले से ही निर्मित भवनों को उचित रूप से संरक्षित किया है और हमारे विचार में यह संरक्षण मूल आवेदन संख्या 677/2016 में 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व निर्णय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 9.12.2016 के कुछ हिस्सों को अमान्य कर दिया गया था और मंत्रालय को उक्त अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का निर्देश जारी किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, न तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अमान्य आदेश और न ही महाराष्ट्र राज्य द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों ने पहले से मौजूद संरचनाओं के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई का सुझाव दिया है। विशेष रूप से पर्यावरण क्षेत्र पर कब्जा करने वाले विशेषज्ञ निकाय के रूप में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पहले से निर्मित संरचनाओं की सुरक्षा की ओर सचेत रूप से झुकने के लिए तथ्यात्मक परिस्थितियों का आकलन किया है। इस पहलू पर और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस अपील में अन्य परियोजना प्रस्तावकों के लिए 2016 की अधिसूचना के कुछ हिस्सों के अमान्य होने के पूर्वव्यापी निहितार्थ के प्रश्न में उद्यम करना भी आवश्यक नहीं है, जिन्होंने अंतराल में अपनी पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की हो सकती है।[अनुच्छेद 19]

1.5 इस प्रकृति की स्थितियों में, वैध अपेक्षा का सिद्धांत आकर्षित होता है। कानून के शासन का सिद्धांत जैसे कि नियमितता, पूर्वानुमेयता और जनता के साथ सरकार के व्यवहार में निश्चितता, वर्तमान मामले में काम करना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक वैध रूप से उस तरीके में स्थिरता की एक निश्चित

डिग्री की उम्मीद कर सकता है जिसमें पर्यावरण व्यवस्था निर्धारित की जाती है और अनुप्रयोगों को कैसे संसाधित किया जाता है। निष्पादित परियोजना के लिए अनिश्चितता के तत्व के बिना, अधिकारियों के कार्यों से केवल प्रचलित मानदंडों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। अधिक सम्मोहक लोक हित संभवतः एक पक्ष के लिए वैध अपेक्षा की मात्रा को कम कर सकता है लेकिन एक संतुलन खोजना होगा। तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने निर्वाचन आयोग पर कार्रवाई की है और पर्याप्त निवेश किया है। उन्हें ढलान पर नहीं धकेला जा सकता और गिराया नहीं जा सकता। ऐसा करना असमान होगा, विशेष रूप से जब अपीलार्थी ने संबंधित अवधि के दौरान लागू कानूनी ढांचे का ईमानदारी से पालन किया हो। इसके अलावा, मध्यावधि में तीसरे पक्ष के हित भी सामने आए हैं। [अनुच्छेद 20,24]

1.6 एक परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पर्यावरण मंजूरी व्यवस्थाओं में परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाए, विशेष रूप से न्यायिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मंजूरी पर फिर से विचार करता रहे या यहां तक कि वैध रूप से निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त कर दे। न ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने आवेदनों को संसाधित करने के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाएगा, जिसे प्रासंगिक समय पर अधिकार नहीं दिया गया है। इस तरह का परिदृश्य प्रक्रिया को एक सिसिफियन कार्य के समान बना देगा, जो शाश्वत रूप से अनिर्णायक और कभी समाप्त नहीं होगा। [अनुच्छेद 25]

1.7 जैसा कि देखा गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विवादित निर्णय में पूर्ण निर्माण का संरक्षण किया है और इस पहलू पर, इसका समर्थन करना उचित समझा जाता है। चार निर्मित इमारतों को परिणामस्वरूप सभी कानूनी परिणामों के साथ एक वैध पर्यावरण मंजूरी के तहत माना जाना है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत लेआउट के साथ कोई और निर्माण प्रस्तावित किया जाता है, तो यह पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा 28.11.2017 को दी गई पर्यावरण मंजूरी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि परियोजना प्रस्तावक शेष भवनों का निर्माण करना चाहता है, तो उन्हें वर्तमान में लागू ढांचे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से नई मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। [अनुच्छेद 26]

गोवा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम भारत संघ **(2010) 5 एससीसी 388;** भारतीय खाद्य निगम बनाम मैसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज **(1993) 1 एससीसी 71-निर्दिष्ट।**

हांगकांग के महान्यायवादी बनाम एनजीयूएन शिउ **(1983) 2 एसी 629: (1983) 2 साप्ताहिक विधि रिपोर्ट 735 - संदर्भित।**

डी स्मिथ द्वारा न्यायिक समीक्षा - **संदर्भित।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

(2010) 5 एससीसी 388	**निर्दिष्ट।**	**अनुच्छेद 14**
(1993) 1 एससीसी 71	**निर्दिष्ट।**	**अनुच्छेद 22**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 595/2021।

मूल आवेदन संख्या 83/2019 (पश्चिम क्षेत्र) में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 18.01.2021 से।

सिविल अपील संख्या 5768/2021 के साथ

हुजेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, निनाद लॉड, सौरभ कुलकर्णी, इवो डी कोस्टा, सुश्री अंशुला विजय कुमार ग्रोवर, नितिन लोनकर, श्रीमती सोनाली सूर्यवंशी, शैंकी अग्रवाल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री रुचि कोहली, सुघोश सुब्रमण्यम, गुरमीत सिंह मक्कर, मुकेश वर्मा, शशांक सिंह, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, अनीश आर शाह, शिवाजी एम जाधव, सुश्री कुर्रतुलैन, बृज किशोर साह, सुश्री दामिनी हजेला, आदित्य एस जाधव, नितिन लोंकर, श्रीमती सोनाली सूर्यवंशी, शैंकी अग्रवाल, प्रत्यार्थियो के अधिवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति

1. सिविल अपील संख्या 595/2021 में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी को सुना। श्री लोनकर नितिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मूल आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से पेश होती हैं। महाराष्ट्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व क्रमशः श्री राहुल चिटनिस और श्री मुकेश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जाता है।

2. ये दोनों अपीलें राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 22 (संक्षेप में "राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम") के तहत दायर की गई हैं, जो मूल आवेदन संख्या 83/2019 में 18.1.2021 के निर्णय और अंतिम आदेश पर आधारित हैं। विवादित फैसले के तहत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बिना आगे निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिनांक 9.12.2016 की अधिसूचना के अनुसार पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर अपीलकर्ता, मेसर्स साईं बाबा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ("परियोजना प्रस्तावक") द्वारा पहले से किए गए निर्माणों को संरक्षित किया गया है। दूसरी ओर, मूल आवेदक स्थायी निर्माण की रक्षा करने और परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगे किए जाने वाले निर्माण पर विवादित निर्णय के प्रभाव को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय से व्यथित है।

3. इन मामलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या परियोजना प्रस्तावक के पास दिनांक 14.9.2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत वैध रूप से पर्यावरणीय मंजूरी है। 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की परियोजनाओं का प्रावधान किया गया था। 1, 50,000 वर्ग मीटर से कम और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

4. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, संक्षेप में आवश्यक तथ्य यह हैं कि परियोजना प्रस्तावक ने शुरू में 15,040 वर्ग मीटर (20,000 वर्ग मीटर की पर्यावरण मंजूरी सीमा से नीचे) की परियोजना की कल्पना की थी और उसने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में एक लेआउट आदेश के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से संपर्क किया था। आवेदन को संसाधित किया गया और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के भवन अनुमति विभाग ने 15,040 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए परियोजना प्रस्तावक को प्रारंभ प्रमाण पत्र प्रदान किया और दिनांक 14.5.2013 के मंजूरी पत्र के तहत योजना को मंजूरी दी। इस तरह की अनुमति के साथ, परियोजना प्रस्तावक अनुमत संरचनाओं का निर्माण कर सकता था, और चूंकि निर्मित

क्षेत्र 20000 वर्ग मीटर की सीमा से कम था, इसलिए इच्छित निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

5. परियोजना प्रस्तावक निर्माता ने तब आवेदन किया और उसे अतिरिक्त एफ. एस. आई. प्रदान किया गया क्योंकि यह 49,012 वर्ग किलोमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ परियोजना का विस्तार करने का इरादा रखता था। एमटीआरएस। और इसके लिए उन्होंने एक आदेश के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से संपर्क किया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। निगम द्वारा 28.11.2016 को आवश्यक अनुमोदन जारी किया गया था।

6. मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 के तहत, पर्यावरण प्रभाव आकलन व्यवस्था को यह इंगित करने के लिए बदल दिया गया था कि पर्यावरण मंजूरी एक स्थानीय प्राधिकरण के पर्यावरण प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। महाराष्ट्र राज्य ने नई व्यवस्था का विकल्प चुना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 में निर्धारित पर्यावरणीय स्थिति को अपनाया। इसके बाद 7.7.2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संचार ने स्पष्ट किया कि पुणे और कोंकण मंडल में नगर निगमों के संबंध में 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र तक की परियोजनाओं के लिए अलग से पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

7. इसके बाद परियोजना प्रस्तावक ने 2016 की अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी के लिए एक आवेदन दायर किया, जिस पर पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा विचार किया गया। जिसने परियोजना का मूल्यांकन किया, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 में विचार किया गया था। बिल्डर को निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति 28.11.2017 को जारी की गई थी, जिसमें भवनों और निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्थितियों को निर्धारित किया गया था और यह अनुमति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 और महाराष्ट्र सरकार की परिणामी अधिसूचना दिनांक 13.4.2017 के तहत संशोधित शासन के अनुसार दी गई थी।

8. जबकि मामला इस प्रकार खड़ा था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण मंजूरी से छूट के लिए कुछ आवेदकों द्वारा चुनौती पर विचार करते हुए, एक बैच के मामले में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

ने मूल आवेदन संख्या 677/2016 (सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी बनाम भारत संघ) और अन्य मामलों में 8.12.2017 के अनुरूप निर्णय में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 पर पुनर्विचार करने और मंत्रालय की अधिसूचना में कुछ खंडों को संशोधित/सुधारने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8.12.2017 को पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लगभग दो साल बाद, मूल आवेदन संख्या 83/2019 पुणे निवासी (प्रत्यर्थी संख्या 10) इस आरोप के साथ कि परियोजना प्रस्तावक ने कोई पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण किया था। इस कार्यवाही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण-महाराष्ट्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर आयुक्त, पुणे शामिल थे। समिति ने स्थल सत्यापन के बाद दिनांक 18.8.2020 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भवन संख्या ए, ई, बी, डी और क्लब हाउस के लिए 22930.17 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदक के निवेदन पर विचार किया, जिसने तर्क दिया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, प्रश्नगत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 17.11.2020 को अपने आदेश में, पहले दौर में, राय दी कि निर्माण अनियमित थे और विचाराधीन परियोजना के लिए उपचारात्मक उपायों का निर्देश दिया गया था।

10. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और परियोजना प्रस्तावक की सिविल अपील संख्या 3893/2020 को 11.12.2020 को अनुमति दी गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और अपीलार्थियों को सुनवाई का खर्च उठाने और एक नया आदेश पारित करने के लिए मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वापस भेज दिया गया था।

11. परियोजना प्रस्तावक का मामला जैसा कि अभिवचनों से देखा जा सकता है कि उसने प्रारंभ में 14.5.2013 को 15040.05 वर्ग मीटर की मंजूरी योजना के साथ निर्माण शुरू किया था, जो 20,000 वर्ग मीटर की सीमा से कम होने के कारण पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, 49,012 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के लिए परियोजना के प्रस्तावित विस्तार के लिए, परियोजना प्रस्तावक ने

"प्रस्तावित विकास प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए 7.11.2016 को संबंधित प्राधिकरण से संपर्क किया, जो पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त है, और उक्त प्रमाण पत्र 28.11.2016 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया था। लेकिन उस स्तर पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.12.2016 के आधार पर, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को 20,000 वर्ग मीटर और 50,000 वर्ग मीटर के बीच की परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था और तदनुसार बदली हुई व्यवस्था के तहत परियोजना प्रस्तावक ने 10.7.2017 को पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को आवेदन किया था और 28.11.2017 को सक्षम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण मंजूरी को मंजूरी दी गई थी।

12. परियोजना प्रस्तावक का यह और तर्क है कि जब 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2016 की अधिसूचना के कुछ भागों को अमान्य कर दिया था, तो उसने उन पर्यावरणीय मंजूरियों को रद्द करने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया था, जो परिवर्तित व्यवस्था के तहत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए थे।

13. दूसरी ओर, मूल आवेदक ने तर्क दिया कि जब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2016 की अधिसूचना के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, तो नगर निगम द्वारा दी गई 28.11.2017 पर्यावरण मंजूरी, निर्माण को वैध नहीं बनाएगी और इसलिए परियोजना प्रस्तावक को निर्माण के साथ आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए और अनधिकृत निर्माण के लिए दंडित भी किया जाना चाहिए।

14. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तब कहा कि 2016 की अधिसूचना में कुछ खंडों के अमान्य होने के कारण, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से प्राप्त पर्यावरण मंजूरी अस्वीकार्य है और तदनुसार एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि परियोजना प्रस्तावक वैध पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा था। हालांकि, सीमा के आधार पर मूल आवेदन की रखरखाव संबंधी चुनौती को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि कार्रवाई का कारण केवल 2017 में उत्पन्न हुआ जब बिल्डर ने कथित रूप से 20,000 वर्ग मीटर की सीमा को पार कर लिया। तदनुसार, अधिकारियों को 8.12.2017 के बाद किए गए निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण का निर्णय मूल आवेदन संख्या 677/2016 में दिया गया था। हालांकि, प्रासंगिक समय पर मौजूद शासन के संबंध में इस तरह के निष्कर्ष और *गोवा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम भारत संघ* [1] में अनुपात को ध्यान

में रखते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि पहले से उठाए गए निर्माण को संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान व्यवस्था के तहत सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही आगे के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

15. उपरोक्त चर्चा से जो तस्वीर सामने आती है वह यह है कि जब परियोजना प्रस्तावक शुरू में पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करना चाहता था तो उसने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को आवेदन करने के लिए आवश्यक लेआउट मंजूरी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार, यह संशोधन से पहले लागू प्रक्रिया के भीतर अच्छी तरह से काम कर रहा था। इस तरह की मंजूरी प्रदान करने के बाद, जब निर्माण चल रहा था, संशोधन 9.12.2016 को हुआ, जिसके तहत नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकरण को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया था। परिवर्तित परिस्थितियों में, परियोजना प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को आवेदन करना था क्योंकि 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के बीच के दौरान, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। इसलिए परियोजना प्रस्तावक संशोधित अधिसूचना द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन कर रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त समिति ने दिनांक 11.8.2020 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि जब परियोजना प्रस्तावक को 28.11.2017 को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई थी, तो पर्यावरण मंजूरी जारी करने का सक्षम प्राधिकारी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम का पर्यावरण प्रकोष्ठ था। इस प्रकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपनी विशेषज्ञ समिति के हिस्से के रूप में यह स्पष्ट समझ है कि परियोजना प्रस्तावक ने संबंधित समय के सक्षम प्राधिकारी यानी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी। दिलचस्प बात यह है कि गठित समिति में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का एक सदस्य भी शामिल था।

16. इसके अलावा, मूल आवेदन संख्या 677/2016 में 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले के फैसले के बाद ही, महाराष्ट्र राज्य ने 29.1.2018 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि नगर निगम अधिकारियों को लंबित आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन न तो एनजीटी के निर्णय और न ही महाराष्ट्र सरकार के निर्णय ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पर्यावरण मंजूरी पर प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से कोई मार्गदर्शन दिया, जिसके बल पर, निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय पहले ही किया जा चुका था। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 14.11.2018 और 15.11.2018 को जारी की गई बाद की अधिसूचना में, पर्यावरण मंजूरी देने की शक्ति स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में निहित रही, जिसमें

एकमात्र परिवर्तन यह था कि यह स्वयं नगरपालिका है न कि इसका पर्यावरण प्रकोष्ठ जो पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार रखता है। पूरा करने के लिए, यह दर्ज किया जा सकता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उक्त अधिसूचनाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 26.11.2018 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 12517/2018 में रोक दिया गया है।

17. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भवन परियोजना पर रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति ने किसी बड़े विचलन को रेखांकित नहीं किया, बल्कि पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने सक्षम स्थानीय प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करके पर्याप्त अनुपालन किया था। इसके अलावा मूल आवेदन में, न तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या इस न्यायालय के समक्ष, कभी यह तर्क दिया गया कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा किया गया मूल्यांकन दोषपूर्ण था या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग था। दोनों प्रक्रियाएँ भी समान रूप से संरचित हैं। यही कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विवादित निर्णय में ही पहले से बने निर्माण को संरक्षित किया। हालांकि, परियोजना प्रस्तावक को वैधानिक पर्यावरण मंजूरी से मंजूरी प्राप्त किए बिना और पर्यावरण मानदंडों का पालन किए बिना आगे कोई निर्माण करने से रोक दिया गया था।

18. अपीलार्थी की परियोजना में छह भवन शामिल हैं जिनमें से तीन पूर्ण रूप से निर्मित किए गए थे, और चौथे भवन का सुपर स्ट्रक्चर पूरा हो गया है और केवल आंतरिक कार्य किए जाने बाकी हैं। चौथी इमारत में 64 अपार्टमेंट में से 40 पहले ही बिक चुके हैं। इस संदर्भ में, सुश्री ऐश्वर्या भाटी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलील को ध्यान में रखना उचित होगा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रासंगिक समय पर, पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम है, न कि राज्य। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और इसलिए चौथी निर्मित इमारत के आंतरिक कार्यों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

19. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पहले से ही निर्मित भवनों को उचित रूप से संरक्षित किया और हमारे विचार में यह संरक्षण, मूल आवेदन संख्या 677/2016 में 8.12.2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व निर्णय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसके तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 9.12.2016 अधिसूचना के कुछ हिस्सों को अमान्य कर दिया गया था और मंत्रालय को उक्त अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का निर्देश जारी किया गया था।

महत्वपूर्ण रूप से, न तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अमान्य आदेश और न ही महाराष्ट्र राज्य द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों ने पहले से मौजूद संरचनाओं के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई का सुझाव दिया है। विशेष रूप से पर्यावरण क्षेत्र पर कब्जा करने वाले विशेषज्ञ निकाय के रूप में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पहले से निर्मित संरचनाओं की सुरक्षा की ओर सचेत रूप से झुकने के लिए तथ्यात्मक परिस्थितियों का आकलन किया है। इस पहलू पर और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस अपील में अन्य परियोजना प्रस्तावकों के लिए 2016 की अधिसूचना के कुछ हिस्सों के अमान्य होने के पूर्वव्यापी निहितार्थ के प्रश्न में उद्यम करना भी आवश्यक नहीं है, जिन्होंने अंतराल में अपनी पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की हो सकती है।

20. इस प्रकृति की स्थितियों में, *वैध अपेक्षा का सिद्धांत* आकर्षित होता है। *डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा* में वर्णित विधि के शासन का सिद्धांत, जैसे कि जनता के साथ सरकार के व्यवहार में नियमितता, पूर्वानुमेयता और निश्चितता, वर्तमान मामले में काम करना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक वैध रूप से उस तरीके में स्थिरता की एक निश्चित डिग्री की उम्मीद कर सकता है जिसमें पर्यावरण व्यवस्था निर्धारित की जाती है और अनुप्रयोगों को कैसे संसाधित किया जाता है। निष्पादित परियोजना के लिए अनिश्चितता के तत्व के बिना, अधिकारियों के कार्यों से केवल प्रचलित मानदंडों का पालन करने की उम्मीद की जाती है।

21. उपरोक्त संदर्भ में हम हांगकांग के *अटॉर्नी जनरल बनाम एनजी युएन शिउ*[2] के मौलिक मामले का उल्लेख करके लाभान्वित हो सकते हैं, जहां लॉर्ड फ्रेजर ने प्रिवी काउंसिल की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहा था,

> "...जब किसी लोक प्राधिकारी ने किसी निश्चित प्रक्रिया का पालन करने का वादा किया है, तो यह अच्छे प्रशासन के हित में है कि उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और अपने वादे को लागू करना चाहिए, जब तक कि कार्यान्वयन उसके वैधानिक कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करता है।"

22. *सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य*[3] में इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति डी. के. जैन के माध्यम से बोलते हुए अन्य रायों का हवाला दिया है और वैध अपेक्षा की अवधारणा पर निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया हैः

"24. सिविल सेवा संघों की परिषद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अन्य बनाम सिविल सेवा मंत्री, इस विषय पर एक लोकस क्लासिकस, जिसमें पहली बार वैध अपेक्षा के सिद्धांत को एक व्यापक परिभाषा देने का प्रयास किया गया था**। वैध अपेक्षा से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए, लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा कि एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होने के लिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय को ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करना चाहिए**

(क) **** **** **** ****

(ख) **उसे किसी लाभ या सुविधा से वंचित करके दोनों में से एक: (i) उसे निर्णय निर्माता द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई है और जिसे वह वैध रूप से तब तक जारी रखने की अनुमति देने की उम्मीद कर सकता है जब तक कि उसे वापस लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार नहीं बताया गया है और उसे उस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया है या** (ii) उसे निर्णय निर्माता से आश्वासन मिला है कि उन्हें पहले यह तर्क देने के लिए कारण दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा कि उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए।

23. वैध अपेक्षा के सिद्धांत को *भारतीय खाद्य निगम बनाम मैसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज*[4] में आगे समझाया गया है, जहां इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने इस प्रकार टिप्पणी कीः –

"ऐसी स्थिति में, किसी नागरिक की उचित या वैध अपेक्षा, अपने आप में एक अलग प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर विचार करने और उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है, और इस प्रकार उचित विचार की आवश्यकता होती है वैध अपेक्षा गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है। क्या दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी प्रश्न उठता है, तो इसे दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक हो सकते हैं। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिस पर निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है । इस तरह से सार्वजनिक प्राधिकरण का

एक प्रामाणिक निर्णय गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और इस तरह से और इस हद तक हमारी कानूनी प्रणाली में काम करता है।"

24. अधिक सम्मोहक लोक हित संभवतः एक पक्ष के लिए वैध अपेक्षा की डिग्री को कम कर सकता है लेकिन एक संतुलन खोजना होगा। वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर कार्रवाई की है और पर्याप्त निवेश किया है। उन्हें ढलान पर नहीं धकेला जा सकता और गिराया नहीं जा सकता। ऐसा करना असमान होगा, विशेष रूप से जब अपीलार्थी ने संबंधित अवधि के दौरान लागू कानूनी ढांचे का ईमानदारी से पालन किया हो। इसके अलावा, मध्यावधि में तीसरे पक्ष के हित भी सामने आए हैं।

25. एक परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था में परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाए, विशेष रूप से न्यायिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मंजूरी पर फिर से विचार करता रहे या यहां तक कि वैध रूप से निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त कर दे। न ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने आवेदनों को संसाधित करने के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाएगा, जिसे प्रासंगिक समय पर अधिकार नहीं दिया गया है। इस तरह का परिदृश्य प्रक्रिया को एक *सिसिफियन कार्य* के समान बना देगा, जो शाश्वत रूप से अनिर्णायक और कभी समाप्त नहीं होगा।

26. जैसा कि देखा गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय में पूर्ण निर्माण का संरक्षण किया है और इस पहलू पर, हम अपीलार्थी के वकील और भारत के विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए, इसका समर्थन करना उचित समझते हैं। चार निर्मित इमारतों को परिणामस्वरूप सभी कानूनी परिणामों के साथ एक वैध पर्यावरण मंजूरी के तहत माना जाना है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा अनुमोदित लेआउट के साथ कोई और निर्माण प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे 28.11.2017 को पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा प्रदत्त पर्यावरण मंजूरी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि परियोजना प्रस्तावक शेष भवनों का निर्माण करना चाहता है, तो उन्हें वर्तमान में लागू ढांचे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से नई मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। इसके अनुसार आदेश दिया जाता है।

27. उपरोक्त आदेश के साथ, लागत पर किसी भी आदेश के बिना अपीलों को निस्तारित किया जाता है।

निधि जैन अपीलों को निस्तारित किया गया।

1. (2010) 5 एससीसी 388

2. (1983) 2 एसी 629 : (1983) 2 साप्ताहिक कानून रिपोर्ट 735

3. (2009) 1 एससीसी 180

4. (1993) 1 एससीसी 71

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।